



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]
No. 106]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 2000/माघ 30, 1921
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 2000/MAGHA 30, 1921

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2000

का.आ. 140 (अ).— जीवजन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार बोर्ड की सलाह पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि जीवजन्तुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए यह आवश्यक है, एतद् द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति इसके सदस्य होंगे :—

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | श्रीमती मेनका गांधी
ए-4, महारानी बाग,
नई दिल्ली | अध्यक्ष/सदस्य |
| 2. | सचिव
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली | सदस्य |
| 3. | सचिव,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली | सदस्य |
| 4. | सचिव,
जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
नई दिल्ली | सदस्य |

- | | | |
|-----|--|------------|
| 5. | ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली | सदस्य |
| 6. | महा निदेशक,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 | सदस्य |
| 7. | संयुक्त सचिव (पशु कल्याण)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली | सदस्य |
| 8. | सदस्य सचिव
केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण,
नई दिल्ली | सदस्य |
| 9. | निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारी नगर, नई दिल्ली | सदस्य |
| 10. | निदेशक,
केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्थान,
छत्तर मंजिल, लखनऊ (उ.प्र.) | सदस्य |
| 11. | वेटरिनरी सर्जन (भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
द्वारा नामित) | |
| 12. | सुश्री अमला अक्केनेनी (पीठासीन सदस्य)
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड
हैदराबाद | सदस्य |
| 13. | निदेशक/उप सचिव (पशु कल्याण)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली | सदस्य सचिव |
| 14. | श्री राज पंजवानी
विधिवक्ता,
नई दिल्ली | सदस्य |
| 15. | डॉ. आर. सुकुमार
भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर | सदस्य |
| 16. | डॉ. गोतम नारायण
जीवविज्ञानी,
गौहाटी, असम | सदस्य |

17.	श्री वि. कृष्णा ब्लू क्रॉस आफ इंडिया चेन्नई (तमिलनाडु)	सदस्य
18.	सुश्री इकबाल मलिक नई दिल्ली	सदस्य
19.	सुश्री पूर्णिमा तुलसीदास कलकत्ता	सदस्य
20.	श्री लक्ष्मीनारायण मोदी नई दिल्ली	सदस्य
21.	सुश्री सुपर्णा गांगुली सी.यू.पी.ए. बंगलौर	सदस्य
22.	सुश्री रीता वजिरानी बंगला संख्या-130 सिंधी सोसाइटी, सी.एस.टी. रोड, चेम्बूर, मुम्बई	सदस्य
23.	डॉ. सुल्तान इस्माईल निदेशक एवं प्राणी विज्ञान प्रमुख न्यू कालेज रोयावेट्टाह, चेन्नई (तमिलनाडु)	सदस्य
24.	डॉ. जी. त्रिमुलाई वैज्ञानिक-एस.ई जुलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र, चेन्नई	सदस्य
25.	श्री जी. अनन्तपद्मनाभन प्रबंधक, पर्यावरण अवसंरचना विकास वित्त निगम, चेन्नई (तमिल नाडु)	सदस्य

2. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (2) के अनुसार एतद् द्वारा श्रीमती मेनका गांधी, सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नामित करती है ।
3. इस समिति का कार्यकाल जबतक कि जल्दी समाप्त न किया जाए, इसके गठन की तारीख से चार वर्ष का होगा

नोट पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए इस समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिसूचनाएं पहले जारी की गई थी :

- (1) संख्या जी.एस.आर. 238 दिनांक 8.2.1991
 (2) संख्या 7-7/94-ए.डब्ल्यू. दिनांक 23.2.1996

[फा. सं. 25/1/2000-ए.डब्ल्यू.डी.]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2000

S.O. 140(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, on the advice of the Board and on being satisfied that it is necessary for the purpose of controlling and supervising experiments on animals, hereby constitutes a Committee consisting of following persons as its members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Smt. Maneka Gandhi,
A-4, Maharani Bagh,
New Delhi. | Chairperson/Member |
| 2. | Secretary,
Ministry of Health & Family Welfare,
Nirman Bhavan, New Delhi. | Member |
| 3. | Secretary,
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhavan, New Delhi. | Member |
| 4. | Secretary,
Department of Biotechnology,
New Delhi. | Member |
| 5. | Drug Controller of India,
Ministry of Health and Family Welfare,
Nirman Bhavan, New Delhi – 110 011. | Member |
| 6. | Director General,
Indian Council of Medical Research,
Ansari Nagar, New Delhi – 110 029. | Member |

7.	Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.	Member
8.	Member Secretary, Central Zoo Authority, New Delhi.	Member
9.	Director, All India Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi.	Member
10.	Director, Central Drug Research Institute, Chatter Manzil, Lucknow (U.P.)	Member
11.	Veterinary Surgeon (to be nominated by Veterinary Council of India).	Member
12.	Ms. Amala Akkineni (Sitting Member, Animal Welfare Board of India), Hyderabad.	Member
13.	Director/Deputy Secretary (Animal Welfare) Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.	Member-Secretary
14.	Shri Raj Panjwani, Lawyer, New Delhi.	Member
15.	Dr. R. Sukumar, Indian Institute of Sciences, Bangalore.	Member
16.	Dr. Gautam Narain, Biologist, Guwahati, Assam.	Member
17.	Shri Chinny Krishna, Blue Cross of India, Chennai (Tamil Nadu).	Member
18.	Ms. Iqbal Mallik, New Delhi.	Member
19.	Ms. Poornima Tulsidas, Calcutta.	Member

- | | | |
|-----|--|--------|
| 20. | Mr. Lakshminarayan Modi,
New Delhi. | Member |
| 21. | Ms. Suparna Ganguly,
CUPA
Bangalore. | Member |
| 22. | Ms. Rita Vazirani,
Bungalow No.130,
Sindhi Society,
CST Road, Chembur,
Mumbai – 400 071. | Member |
| 23. | Dr. Sultan Ismail,
Director & Head of Zoology,
New College,
Royapettah,
Chennai (Tamil Nadu). | Member |
| 24. | Dr. G. Thirumalai,
Scientist – SE,
Zoological Survey of India,
Southern Regional Centre,
Chennai. | Member |
| 25. | Mr. G. Ananthapadmanabhan,
Manager,
Environment Infrastructure Development
Finance Corporation,
Chennai (T.N.) | Member |

2. The Central Government hereby nominates Smt. Maneka Gandhi, Member to be the Chairperson of the Committee as per sub-section (2) of section 15 of the said Act.

3. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be four years from the date of its constitution.

Note:-The following notifications were issued earlier in relation to the Committee for the purpose of Control and Supervision of experiments on Animals:-

- (1) number G.S.R. 238 dated 8.2.1991
- (2) number 7-7/94 AW dt. 23.2.96

[F. No. 25/1/2000-AWD]
DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.